



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार 4 अगस्त, 2020

श्रावण 13, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-2

संख्या 1626 ई-2/तेरह-2020-16-2011

लखनऊ, 4 अगस्त, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०-49

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 40 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) और (च) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 6355 (6)/ई/तेरह-521-67, दिनांक 25 मार्च, 1968 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति (षष्ठम् संशोधन)
नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति संक्षिप्त नाम व (षष्ठम् संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968, जिसे नियम 2 का आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 2 के स्थान पर संशोधन स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

2-इस नियमावली में,-

(क) "दुकान" का तात्पर्य देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और भांग की बिक्री के लिये किसी फुटकर दुकान से है;

(ख) "उप दुकान" का तात्पर्य देशी शराब की बिक्री के लिए एकान्तिक विशेषाधिकार के किसी प्राप्तकर्ता द्वारा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए उसकी संविदा के क्षेत्र के भीतर और आबकारी वर्ष के चालू रहने के दौरान खोली जाने वाली किसी फुटकर दुकान से है;

(ग) "अवस्थिति" का तात्पर्य किसी दुकान के लिए विनिर्दिष्ट ग्राम, मोहल्ला, वार्ड इत्यादि से है;

(घ) "स्थल" का तात्पर्य दुकान के परिसर के लिए अनुमोदित चौहद्दी से है।

नियम 5 का
संशोधन

3-उक्त नियमावली में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप खण्ड (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1
विद्यमान उप खण्ड

5-(2) लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले अत्यावश्यक कारणों के सिवाय किसी परिनिर्धारण के चालू रहने के दौरान किसी दुकान या उप दुकान के स्थल में कोई भी परिवर्तन करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। समस्त दुकानों और उप दुकानों की अवस्थिति को किसी स्थल परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से परिनिर्धारण में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी दुकान की अवस्थिति में किसी परिवर्तन की अनुज्ञा आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमोदन के बिना नहीं दी जायेगी और किसी दुकान के स्थल में परिवर्तन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ही किया जायेगा।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

2-इस नियमावली में,-

(क) "दुकान" का तात्पर्य देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और भांग की बिक्री के लिये किसी फुटकर दुकान या माडल शॉप से है;

(ख) "उप दुकान" का तात्पर्य देशी शराब की बिक्री के लिए एकान्तिक विशेषाधिकार के किसी प्राप्तकर्ता द्वारा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए उसकी संविदा के क्षेत्र के भीतर और आबकारी वर्ष के चालू रहने के दौरान खोली जाने वाली किसी फुटकर दुकान से है;

(ग) "अवस्थिति" का तात्पर्य किसी दुकान के लिए विनिर्दिष्ट ग्राम, मोहल्ला, वार्ड इत्यादि से है;

(घ) "स्थल" का तात्पर्य दुकान के परिसर के लिए अनुमोदित चौहद्दी से है।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड

5-(2) लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले अत्यावश्यक कारणों के सिवाय किसी परिनिर्धारण के चालू रहने के दौरान किसी दुकान या उप दुकान के स्थल में कोई भी परिवर्तन करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। समस्त दुकानों और उप दुकानों की अवस्थिति को किसी स्थल परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से परिनिर्धारण में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जायेगा:

परन्तु यह कि किसी दुकान की अवस्थिति में किसी परिवर्तन की अनुज्ञा, प्रस्तावित अवस्थिति के लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् आबकारी आयुक्त अथवा मंडलायुक्त के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं दी जायेगी:

परन्तु यह और भी कि किसी दुकान के स्थल में परिवर्तन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ही किया जायेगा।

आज्ञा से,

संजय आर0 भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1626 E-2/XIII-2020-16-2011, dated August 4, 2020:

No. 1626 E-2/XIII-2020-16-2011

Dated Lucknow, August 4, 2020

In exercise of the powers under clauses (e) and (f) of sub-section (2) of section 40 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. 4 of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shops Rules, 1968, published with Government Notification No. 6355(6) E/XIII-521-67, dated March 25, 1968.

THE UTTAR PRADESH NUMBER AND LOCATION OF EXCISE SHOPS (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2020

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shops (Sixth Amendment) Rules, 2020. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shops Rules, 1968 hereinafter referred to as the said rules, *for* rule 2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 2

COLUMN-I

Existing rule

2- In these rule,-

(a) "Shop" means a retail shop for vend of country liquor, foreign liquor, beer and bhang;

(b) "Sub-shop" means a retail shop for vend of country liquor to be opened by a grantee of exclusive privilege for retail sale of country liquor under section 24 of the United Provinces Excise Act,1910 within the area and during the currency of the Excise Year of his contract;

(c) "Location" any village, Mohalla, Ward etc. specified for a shop;

(d) "Site" means boundaries approved for the premises of a shop.

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

2- In these rule,-

(a) "Shop" means a retail shop or model shop for vend of country liquor, foreign liquor, beer and bhang;

(b) "Sub-shop" means a retail shop for vend of country liquor to be opened by a grantee of exclusive privilege for retail sale of country liquor under section 24 of the United Provinces Excise Act,1910 within the area and during the currency of the Excise Year of his contract;

(c) "Location" any village, Mohalla, Ward etc. specified for a shop;

(d) "Site" means boundaries approved for the premises of a shop.

3. In the said rules in rule 5 *for* sub-clause (2) set out in Column-I below, the sub-clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 5

COLUMN-I

Existing sub-clause

5 (2) No change in the site of any shop or sub-shop shall, except for very cogent reasons to be recorded in writing, shall be permitted during the currency of a settlement. The location of all shops and sub-shops shall be clearly defined at settlement in order to prevent any shifting of sites:

COLUMN-II

Sub-clause as hereby substituted

5 (2) No change in the site of any shop or sub-shop shall, except for very cogent reasons to be recorded in writing, shall be permitted during the currency of a settlement. The location of all shops and sub-shops shall be clearly defined at settlement in order to prevent any shifting of sites:

COLUMN-I*Existing sub-clause*

Provided that no change in the location of any shop shall be permitted without prior approval of Excise Commissioner and change in the site of any shop shall be done by licensing authority only after due consideration.

COLUMN-II*Sub-clause as hereby substituted*

Provided that no change in the location of any shop shall be permitted without prior approval of Excise Commissioner **or** Divisional Commissioner after giving an opportunity of hearing to the license holders of the proposed location:

Provided further that change in the site of any shop shall be done by licensing authority only after due consideration.

By order,
SANJAY R. BHOOSREDDY,
Apar Mukhya Sachiv.